बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 206966 पटना, दिनांक:- 31/10/14

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(ल0नि0)-102-06/2014

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी उप विकास आयुक्त,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ।

विषय:- **दिनांक 15.11.2014 को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लक्ष्य के विरूद्ध शत प्रतिशत लाभुकों के बैंक खाता में राशि अंतरण कार्यक्रम की व्यवस्था के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि पूरे राज्य में एक ही दिन दिनांक 15.11.2014 को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लक्ष्य के विरूद्ध शत प्रतिशत लाभुकों के बैंक खाता में प्रखण्ड स्तर से राशि का अंतरण किया जाना है । एतद् संबंधी दिशा-निर्देश विभागीय पत्रांक-206219 दिनांक-21.10.14 द्वारा दिया जा चुका है । विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लाभुकों के बैंक खाता में राशि अंतरण का कार्यक्रम माननीय स्थानीय विधायक एवं प्रखण्ड प्रमुख के गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हो तथा जनहित के लिए विकास कार्यक्रमों के संबंध में उनके स्तर से भी आवश्यक संबोधन किया जा सके ।

अत: इस संबंध में निम्नांकित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय :-

(1) प्रखण्ड स्तर पर आयोजित उक्त कार्यक्रम की जानकारी माननीय स्थानीय विधायक एवं प्रखण्ड प्रमुख को देते हुए कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जायेगा ।

(2) यदि माननीय स्थानीय विधायक के क्षेत्र में एक से अधिक प्रखण्ड हों तो उनसे संपर्क स्थापित कर अलग-अलग प्रखण्डों के लिए समय निश्चित करने का अनुरोध किया जायेगा और उनके द्वारा निर्धारित समय के अनुसार राशि अंतरण का कार्यक्रम निर्धारित किया जायेगा ।

(3) उक्त कार्यक्रम में सभी मनरेगा कर्मी, सभी इंदिरा आवास कर्मी एवं जीविका से संबंधित कार्यरत कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी ताकि माननीय विधायक द्वारा विकास कार्यक्रमों से संबंधित संबोधन का वे लाभ उठा सकें ।

(4) उक्त कार्यक्रम में किसी भी लाभुक को नहीं बुलाया जायेगा बल्कि किसी भी परिस्थिति में यदि उनका बैंक पासबुक प्रखण्ड अथवा बैंक स्तर पर उपलब्ध हो तो कार्यक्रम के पूर्व ही ग्रामीण आवास सहायक के माध्यम से लाभुकों को हस्तगत करा दिया जायेगा । इस संबंध में विभागीय पत्रांक-206219 दिनांक-21.10.14 द्वारा पूर्व में भी दिशा-निर्देश दिया जा चुका है ।

(5) उक्त कार्यक्रम में जिला के प्रभारी पदाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी ।

(6) प्रखण्ड स्तरीय कार्यक्रम के लिए 2 (दो) बैनर 4 फीट X 6 फीट का तैयार किये जायेंगे । पहला बैनर प्रखण्ड कार्यालय के बाहरी प्रमुख स्थान पर तथा एक बैनर कार्यक्रम स्थल के बैकग्राउण्ड में लगाये जायेंगे । बैनर में निम्न रूप से अंकित रहेगा :-

बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

वर्ष 2014-15 में इंदिरा आवास के लक्ष्य के विरूद्ध शत् प्रतिशत लाभुकों के बैंक खाता में राशि अंतरण का प्रखण्ड स्तरीय कार्यक्रम

प्रखण्ड -

तिथि - 15 नवम्बर 2014 (शनिवार)

आयोजक - ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना

(7) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी लाभुकों के खाता में राशि अंतरित करने हेतु Order Sheet Generate कर दिनांक 10.11.14 तक संबंधित बैंक को भेज देंगे, परन्तु राशि का अंतरण प्रखण्ड मुख्यालय में दिनांक 15.11.14 को माननीय विधायक की उपस्थिति में किया जायेगा । इस हेतु शाखा प्रबंधक भी प्रखण्ड मुख्यालय में उपस्थिति रहेंगे तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इस कार्य हेतु Dedicated Computer (Internet Connection के साथ) उन्हें उपलब्ध करायेंगे ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)

सरकार के सचिव 31.10.14

ज्ञापांक 206966 पटना, दिनांक 31/10/14

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव

31/10/14

E:\D Drive\Mukesh\IAY 1113.doc